Scholarship Jankari

Year	Name of the Scheme	No. of Student by govt scheme and amount	
		NUMBER of Students	Amount
2015-16	Post Matric Scholarship	899	4830401
	Awaas Yojana	08	160000
2016-17	Post Matric Scholarship	1076	6630331
	Awaas Yojana	14	196500
2017-18	Post Matric Scholarship	1496	7921799
	Awaas Yojana	193	3366500
2018-19	Post Matric Scholarship	1274	7640501
	Awaas Yojana	281	5750350
2019-20	Post Matric Scholarship	1560	9474211
	Awaas Yojana	326	7299500

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवास सहायता योजना
नियम 2013

म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना लागू करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -
   (1) ये नियम अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवास सहायता योजना नियम 2013 कहलायेंगे।
   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
   (3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नियम प्रभावशील होंगे।

2 उद्देश्य:-

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आवास सहायता योजना तैयार की गई है।

3. योजना का स्वरूप व क्रियान्वयन:-
   (1) वर्ष 2013-14 से महाविद्यालयीन स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित होगी।
   (2) योजना जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय पर लागू होगी।
   (3) आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से नियम के अनुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को आवास सहायता दी जायेगी।

आदिम जाति कल्याण विभाग
(शाखा - 6)
वल्लभ भवन, भोपाल.

4. स्वीकृति के अधिकार -

(1) विद्यार्थी द्वारा जिस स्थान/नगर के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं में नियमित अध्ययन किया जा रहा है, उस स्थान पर विद्यार्थी के पालक का आवासीय निवास न होने का प्रमाण पत्र/ पालक का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिकों के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु संबंद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे।

5. पात्रता -

(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की महाविदयालयों एवं समकक्ष या उच्च स्तर पर नियमित प्रवेशित तथा जिनका अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, वे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रूपये 2000/- प्रति विघार्थी, जिला मुख्यालयों पर प्रति विघार्थी रूपये 1250/- एवं तहसील/विकास खण्ड मुख्यालय पर रूपये 1000/- प्रति विघार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि देय होगी।

(3) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रवेश लेने वाले एवं आवेदन देने वाले विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होंगे।

(4) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(5) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन करनी होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

आदिम जाति कल्याण विभाग
(शाखा - 5)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

(6) अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र हो जायेंगे।

(7) एक वर्ष पश्चात परिणामों के आधार पर योजना का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

(8) योजना के परिणामों एवं प्रभाव का तृतीय पक्ष (Third Party) मूल्यांकन कराने का प्रावधान रहेगा।

6. भुगतान की प्रक्रिया -

(1) विद्यार्थियों को आवास सहायता पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए ही देय होगी।

(2) लाभार्थी छात्र छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से करेंगें।

(3) आधार आधारित बैंक एकाउन्ट में डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत राशि विद्यार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।

(4) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अंतराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

(मीनाक्षी मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
(शाखा - 5)
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12–06/2013/25–2/1860 भोपाल दिनांक 23/12/2016

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आदेश क्रमांक–एफ–12–06/2013/25–2/2039 एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–23–04/2013/25–5 दिनांक 11/09/2013 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2013 जारी किया गया था। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित आदेशों को समाहित करते हुए आवास सहायता योजना नवीन नियम वर्ष 2016 एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

2/ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:–

(1) ये नियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 कहलायेंगे।
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
(3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नवीन नियम प्रभावशील होंगे।

2. **योजना का उद्देश्य** :– अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. **योजना का स्वरूप एवं कियान्वयन** :–

(1) वर्ष 2013–14 से महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर पर अध्यनरत् अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक/बालिकाओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है। वर्ष 2016–17 से इस योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑन लाईन किया जावेगा।

(2) योजना भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालय, अन्य समस्त जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय स्तर तक लागू होगी।

(3) केन्द्र/राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्य ग्राम/कस्बे में हो तो ऐसे ग्राम/कस्बे में निवासरत विद्यार्थी को विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

4. पात्रता :-

(1) ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिन्हें किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।

(3) समस्त परीक्षा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजनान्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका-4 (4) अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(4) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/- एवं तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी।

(5) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी ही योजना का लाभ ले सकेंगे।

(6) एक ही नगरीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा।

(7) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

(8) अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

एक माता/पिता की सभी संतानों का पृथक हितग्राही माना जायेगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया :–

(1) विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात् विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करेंगे।

(2) ऑन–लाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।

(3) विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. स्वीकृति की प्रक्रिया एवं अधिकार :–

(1) स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु सम्बद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे। छात्र द्वारा ऑन–लाईन भरे गये आवेदन पत्र, समग्र आई.डी. से प्राप्त विवरण एवं अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता प्राचार्यों का होगा।

(2) विद्यार्थी द्वारा ऑन–लाईन किये गये आवेदन पत्र एवं अपलोड किये गये अभिलेखो को पृथक से हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् बालिकाओं को आवास सहायता स्वीकृति के अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को होंगे।

7. भुगतान की प्रक्रिया :–

(1) आवास सहायता की स्वीकृत राशि का परीक्षण कर जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा तथा स्वीकृताकर्ता अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यह संबंधित जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उसके जिले में संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में स्वीकृत सारी सीटें भर गई हों। इसके पश्चात आवास सहायता की राशि जारी की जाए।

(2) विद्यार्थिनी को आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए एक बार ही देय होगी। किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।

(3) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अन्तराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह मे देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग,
भोपाल दिनांक 23/12/2016

पृ0 क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1876
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. ✓ आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को यू.ओ. टीप क्रमांक 23124 दिनांक 27/10/2016 के सन्दर्भ में प्रेषित।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र.।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास मध्यप्रदेश।
13. कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
14. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मन्त्रालय, भोपाल

क्रमांक/आईटी/एबीवाए/2016/एफ-12-06/2013/25-2/1067 भोपाल, दिनांक 28/07/2016

"आदेश"

विषयः अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु आवास सहायता नियम 2013 में संशोधन।

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ–12–06/2013/25–2/2039–40 दिनांक 11.09.2013 में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को आवास सहायता योजना नियम–2013 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करता हैः–

कण्डिका 4.2: स्वीकृति के अधिकार के कॉलम में सरल क्रमांक 4.2 को परिवर्तित किया जाता है।

आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन की स्वीकृति ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के साथ ही होगी। आवास सहायता योजना के स्वीकृति अधिकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ही होंगे।

शेष नियम यथावत लागू रहेंगे।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

28 JUL 2016

पृ. क्रं/आईटी/एबीवाए/2016/एफ-12-06/2013/25-2/1068 भोपाल, दिनांक 28/07/2016

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल।
6. संचालक/अपर आयुक्त, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
7. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
8. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र भोपाल।
9. श्री विनीत तिवारी, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
12. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टीप : आदेश पत्र की प्रति, विभाग के अधिकृत शासकीय ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है एवं पृथक से मुद्रित प्रति नहीं भेजी जाएगी।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

(130)

कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29/7/16

पृ0क्रमांक / 455 / 2016 / 16867

प्रतिलिपि :-

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र. को सूचनार्थ । मोपनि
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(51)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश